37

144

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट, रीवा (म.प्र.)

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R-988-II/14

एन.टी.पी.सी. रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर परियोजना, बीजपुर जिला सोनभद्र (उ.प्र.) द्वारा महाप्रबंधक (प्रभारी) एन.टी.पी.सी. रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर परियोजना, बीजपुर जिला सोनभद्र (उ.प्र.)

.... आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

.... अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय जिला कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्र.क्र. 76/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2013

अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :–

1. यह कि निगरानीकर्ता भारत सरकार का एक उपक्रम है, जिसे देश में विद्युत उर्जा पूर्ति लिए और और विद्युत उत्पादन के लिए परियोजना का निर्माण करना था, तथा मध्यप्रदेश शासन के सहयोग से एवं भारत सरकार की लागत से, रिहन्द नगर, सुपर थर्मल पॉवर परियोजना का निर्माण किया जाना था। जिसके लिए आवासीय मकान, स्कूल, पुलिस स्टेशन, सड़क, नाली, पाईप लाईन, प्लांट इत्यादि अनेक प्रकार का निर्माण करना था, साथ ही कोयला पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान रेल्वे लाईन का भी निर्माण किया जाना था। रेल्वे लाईन के अलावा सार्वजनिक उपयोग की सड़क का निर्माण एवं वृक्षारोपण भी किया जाना

(37)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–988-II / 14** जिला–सिंगरौली

एन0टी0पी0सी0 / म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 176 / अपील / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	